पत्रांक 10/न 4 – 13/08 592

बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

ओंकार नाथ आर्य,
उप सचिव,

सेवा में,

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली – 1100921

पटना, दिनांक – 29/06/10

विषय जीवन पब्लिक स्कूल, लखौरा, मोतिहारी को अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना सं0 – 238 दिनाक – 03.04.2006 के आलोक मे जिला शिक्षा पदाधिकारी, मोतिहारी से प्राप्त प्रतिवेदन एव विद्यालय प्रबधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा **जीवन पब्लिक स्कूल, लखौरा, मोतिहारी** को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने की अनुशसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक मे समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है :–

1. यह विद्यालय उमरेश देवी एजुकेशनल ट्रस्ट के अधीन सचालित है। इस ट्रस्ट मे किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाईटी के प्रत्येक सदस्य का व्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय ने किसी निबधित सोसाईटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्राड नेम उपयोग नही करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 के मानक के अनुरूप भूमि उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत सरचना एव सुविधाए बोर्ड के मानक के अनुरूप है।
4. विद्यालय मे शिक्षक कि नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया हैं। परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति मे विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गयी हो। विद्यालय में 30 शिक्षक है। सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षको की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंडो के अनुरूप है।
5. विद्यालय मे हिन्दी अनिवार्य रूप से पढाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करें। इससे सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गई है कि उसे विभागीय अधिसूचना स0 – 238 दिनाक – 03.04.2006 मे उल्लेखित अपेक्षित शर्ते स्वीकार है।

अपेक्षित शर्त्ते के अनुसार :–

(xxi) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पडोश में निवास करने वाले बच्चों का नि:शुल्क किया जाएगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे बच्चो की श्रेणी में अनु0जाति,अनु0जनजाति, पिछडा

वर्ग, अल्पसख्यक विकलाग बालिकाए तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000 / –रू0 प्रति वर्ष होगे को रखा गया है।

(ii) विद्यालय मे नर्सरी / के0जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा मे नामाकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा / साक्षात्कार (बच्चो एव माता / पिता सहित) नही लिया जाएगा। अगर नामाकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुल तरिका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जाएगा।

(iii) नर्सरी / के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक कि0मी0 एव उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन कि0मी0 तक रहेंगी।

(iv) जिन बच्चों का नामाकन नही होता है, उनसे लिई गई आवेदन शुल्क का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यस्था होगी।

8. यद्यपि की विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है फिर भी सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली अपने स्तर से जॉच कर सुनिश्चित हो ले कि विद्यालय उनके निर्धारित माप दंड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एव अपेक्षित शर्त्तो का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल यह शर्त्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोसपेक्टस एव बेवसाईट में करना होगा। शर्त्तो के उल्लधन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जाएगा तथा सबद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

10. विभागीय पत्रांक – 46 दिनांक - 18.01.2008 द्वारा शिक्षक / छात्रों को शारीरिक दड नहीं दिए जाने सबधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्त्तो के आधार पर **जीवन पब्लिक स्कूल, लखौरा, मोतिहारी** को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दी जाती है।

अनु0– जिला शिक्षा पदाधिकारी, **मोतिहारी** का जॉच प्रतिवेदन सलग्न।

विश्वासभाजन
ह0 / –
(ओंकार नाथ आर्य)
उप सचिव

ज्ञापाक : पटना, दिनाक

प्रतिलिपि – जिला शिक्षा पदाधिकारी, मोतिहारी को उनके पत्राक 1582 दिनाक 18.06.09 के प्रसग में सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(ओंकार नाथ आर्य)
उप सचिव

ज्ञापांक : 592 पटना, दिनाक 29/06/10

प्रतिलिपि – प्राचार्य, **जीवन पब्लिक स्कूल, लखौरा, मोतिहारी को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29.6.10

(ओंकार नाथ आर्य)
उप सचिव